भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 59

उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

शिक्षा ऋण

59. **श्री एस॰ वेंकटेशन:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए "शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि" का ब्यौरा क्या है;

(ख) "शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि" योजना हेतु न्यासी कंपनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) सामान्य, अ॰पि॰व॰, महिलाओं, अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰, अ॰जा॰ (महिला) अ॰ज॰जा॰ (महिला) श्रेणियों के अंतर्गत "शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि' योजना के तहत लाभान्वित छात्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में "शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि" योजना के तहत सामान्य अ॰पि॰व॰, महिलाओं, अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰, अ॰जा॰ (महिला) अ॰ज॰जा॰ (महिला) छात्रों को संवितरित धनराशि कितनी है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत, अधिकतम ऋण सीमा 7.5 लाख रुपये है। इस योजना हेतु "नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड" न्यासी कंपनी है। इस योजना में वे शिक्षा ऋण शामिल हैं, जिन्हें सदस्य ऋण दायी संस्थाओं द्वारा उधारकर्ता को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुसार एनसीजीटीसी के साथ समझौता करने के बाद दिया जाता है। यह योजना चूक राशि के 75% तक की सीमा तक गारंटी प्रदान करती है। इस योजना की अधिसूचना अनुबंध-I पर संलग्न है।

(ग): सामान्य, अ॰पि॰व॰, महिलाओं, अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰, अ॰जा॰ (महिला) अ॰ज॰जा॰ (महिला) श्रेणियों के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना के तहत लाभान्वित छात्रों की संख्या का विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

(घ): वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना के तहत सामान्य, अ॰पि॰व॰, महिलाओं, अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰, अ॰जा॰ (महिला) अ॰ज॰जा॰ (महिला) छात्रों को संवितरित धनराशि का विवरण अनुबंध-III में संलग्न है।

******

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सं. 18-1/2013-यू.5 (खंड III) – निम्नलिखित योजना सभी संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है:

अध्याय-I

प्रस्तावना

1. योजना का शीर्षक और आरंभ होने की तिथि

(i) यह योजना शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएसईएल) के रूप में जानी जाएगी।

(ii) यह योजना भारत सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

(iii) इस योजना की अधिसूचना की तारीख को या इसके पश्चात् संस्वीकृत किए गए नए शिक्षा ऋण इस योजना में शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे जो इसकी निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हों।

2. ऋण सीमा

इस योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 7.5 लाख रूपये है जिसके लिए किसी समर्थक प्रतिभूति और तीसरी पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निधि, जब कभी अपेक्षित होगा, ऋण सीमा में संशोधन कर सकती है।

3. ब्याज दर

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा शिक्षा ऋणों हेतु प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर, जो आधार दर से सालाना 2% से अधिक न हो, सीजीएफएसईएल के अंतर्गत शामिल की जाए। तथापि, निधि प्रचलित ब्याज दर व्यवस्था, ऋणदात्री संस्थाओं की आधार दरों और भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट नीतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीमा में समय-समय पर संशोधित कर सकती है।

4. मार्जिन

4 लाख रूपये तक		शून्य
4 लाख रूपये से अधिक:	भारत में अध्ययनों के लिए	5%
	विदेश में अध्ययनों के लिए	15%

5. परिभाषाएं

इस योजना के प्रयोजनार्थ –

(i) **"चूक राशि"** का अभिप्राय – दात्र उधारकर्ता के ऋण खाते(तों) में, खाते के एनपीए बनने की तारीख को, या दावा आवेदन करने की तारीख को, जो भी पहले हो, जमा ब्याज समेत बकाया ऋण की राशि, या अन्य कोई ऐसी राशि जिसे निधि द्वारा अधिकतम 'गारंटी कवर' के अध्यधीन गारंटी कवर के विरूद्ध किसी दावे के लिए अधिमान्यता देने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया हो, से है।

(ii) **"आधार दर"** ऋणदात्री संस्थाओं के लिए इसका अभिप्राय उस आधार दर से है जो उस ऋणदात्री संस्था द्वारा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी प्रकार घोषित की गई हो जिसके आधार पर ऋण के लिए अनुप्रयोज्य ब्याज निर्धारित किया जाएगा।

(iii) **"पात्र उधारकर्ता"** से अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीयता वाले नये या मौजूदा उधारकर्ता से है जो "भारत और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित" आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना" के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और उसने शिक्षा ऋण लेने के लिए ऋणदात्री संस्था के साथ ऋण दस्तावेज निष्पादित किए हों। माता-पिता/संरक्षक सह-उधारकर्ता/संयुक्त उधारकर्ता होंगे । विवाहित व्यक्ति के मामले में, संयुक्त उधारकर्ता पति-पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर भी हो सकते हैं।

(iv) **"समर्थक प्रतिभूति"** का अभिप्राय ऐसी प्रतिभूति से है जो उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को उसकी व्यक्तिगत बाध्यता के अतिरिक्त प्रदान की गई है।

(v) **"शिक्षा ऋण"** से अभिप्राय - ऋणदात्री संस्था द्वारा 'आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना' के अनुसार उच्चतर शिक्षा हेतु पात्र उधारकर्ता को बतौर ऋण दी गई किसी वित्तीय सहायता से है।

(vi) **"निधि"** से अभिप्राय - भारत सरकार द्वारा स्थापित उस शिक्षा ऋण क्रेडिट निधि से है जिसका उद्देश्य उन शिक्षा ऋणों में चूक के विरूद्ध भुगतान की गारंटी देना है जो उस सदस्य ऋणदात्री संस्था (संस्थाओं) (एमएलआई) द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए हैं।

(vii) **"गारंटीदाता"** से अभिप्राय बैंक को स्वीकार्य एक व्यक्ति से है, जो उधारकर्ता के ऋण न चुका पाने की स्थिति में शिक्षा ऋण चुकाने की गारंटी देता है।

(viii) **"गारंटी कवर"** से अभिप्राय है - ऋणदात्री संस्था द्वारा दी गई वह क्रेडिट सुविधा जिसमें प्रति पात्र उधारकर्ता को चूक राशि का अधिकतम कवर (अर्थात् 75%) उपलब्ध है।

(ix) **"ऋणदात्री संस्था(एं)"** से अभिप्राय - उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से है जो भारतीय बैंक संघ के सदस्य हैं। 'निधि', निष्पादन की समीक्षा करने के बाद, सहकारी बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग संस्थाओं को भविष्य में अतिरिक्त ऋणदात्री संस्थाओं के रूप में शामिल कर सकती है।

(x) **"नियत तारीख"** से अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख को ऋणदात्री संस्था द्वारा न्यास को पात्र उधारकर्ता के संबंध में तय की गई राशि पर गारंटी शुल्क देय हो जाता है।

(xi) **"अनर्जक परिसंपत्तियां"** से अभिप्राय उस परिसंपत्ति से है जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के आधार पर अनर्जक के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति है।

(xii) **"योजना"** से अभिप्राय - शिक्षा ऋण क्रेडिट गारंटी निधि योजना है।

(xiii) **एनसीजीटीसी** से अभिप्राय - राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी से है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा 28 मार्च, 2014 को एक ट्रस्टी रूप में की गई थी ताकि शैक्षिक ऋण, कौशल विकास ऋण और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाली किन्हीं अन्य निधियों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि का संचालन हो सके।

(xiv) तद्नुसार, सीजीएफएसईएल के संचालन से संबंधित सभी मामले उक्त ट्रस्ट निधि की ओर से एनसीजीटीसी द्वारा संचालित किए जाएंगे।

अध्याय-II

योजना का क्षेत्र और सीमा

6. निधि द्वारा गारंटी

i. एनसीजीटीसी, योजना के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसी सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) द्वारा एक पात्र उधारकर्ता को दिए गए 7.5 लाख रूपये तक के शिक्षा ऋणों के संबंध में प्रतिभू होगी, बशर्ते उस संस्था ने इस प्रयोजन के लिए एनसीजीटीसी के साथ शैक्षिक ऋणों के पुन: भुगतान में चूक के विरूद्ध गारंटी प्रदान करने के लिए आवश्यक समझौता किया है।

ii. एनसीजीटीसी को ऋणदात्री संस्था द्वारा इसे भेजे गए किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, भले ही वह इस योजना के मानदंडों को पूरा करती हो।

7. योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण की पात्रता

(i) इस निधि में आईबीए की योजना के अनुसार पात्र उधारकर्ता को सदस्य ऋणदात्री संस्था (संस्थाओं) द्वारा दिए गए वे शिक्षा ऋण शामिल होंगे जिन्हें एनसीजीटीसी के साथ करार करने पर या उसके पश्चात् बिना किसी समर्थक प्रतिभूति और/या तीसरी पार्टी गारंटी के दिया गया है, बशर्ते उस ऋणदात्री संस्था ने ऐसी समय अवधि के भीतर और एनसीजीटीसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे संस्वीकृत शिक्षा ऋणों के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन किया हो।

(ii) ऋणदात्री संस्था अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर और जनवरी-मार्च की तिमाही में संवितरित शिक्षा ऋणों के संबंध में क्रमश: निम्नलिखित तिमाही अर्थात् जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून के समाप्त होने से पूर्व गारंटी कवर के लिए आवेदन करे।

(iii) नियत तारीख तक

(क) ऋणदात्री संस्थाओं के खाते के संबंध में कोई भी अतिदेय न हो और या/ऋणदात्री संस्थाओं के बही खातों में ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो और/या

(ख) उधारकर्ता के उस कार्यकलाप को बन्द न किया गया हो जिसके लिए क्रेडिट सुविधा मंजूर की गई थीः और/या

(ग) इस क्रेडिट सुविधा का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपयोग, एनसीजीटीसी की पूर्व अनुमति लिए बिना किसी ऐसे ऋण के लिए जो त्रुटिपूर्ण है या जिसकी वसूली सन्देहास्पद है, का समायोजन करने के लिए न किया गया हो।

(iv) निधि अपने विवेक से ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और/या उनके पाठ्यक्रमों की सूची को अनुमोदन दे सकती है/तैयार कर सकती है जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध होगा, या वह ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के वर्गों/उनके पाठ्यक्रमों को अधिसूचित कर सकती है जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध न हो।

8 योजना के तहत अपात्र शिक्षा ऋण

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षा ऋण स्वीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगेः-

i. ऐसा कोई शिक्षा ऋण जिसके संबंध में, जोखिमों को सरकार या किसी सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ जो गारंटी देने या क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है, द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई हो, इस सीमा में शामिल किए गए ऋणों को गारंटी प्राप्त नहीं होगी।

ii. ऐसा कोई शिक्षा ऋण जो इस समय लागू किसी कानून के उपबंधों या केन्द्र सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों अथवा अनुदेशों से मेल न खाता हो या किसी तरह से उनके अनुरूप न हो।

iii. ऋणदात्री संस्था द्वारा मंजूर किया गया ऐसा कोई शिक्षा ऋण जिसकी ब्याज दर, जहां आधार दर लागू है, ऋणदात्री संस्था की आधार दर के 2% से अधिक हो।

9 ऋणदात्री संस्था द्वारा करार का निष्पादन

सदस्य ऋणदात्री संस्था, उसके द्वारा स्वीकृत पात्र शिक्षा ऋण के संबंध में गारंटी देने की तभी हकदार होगी जब उसने एनसीजीबीसी द्वारा निर्धारित फार्म पर एनसीजीटीसी के साथ करार किया हो।

10 योजना के अंतर्गतऋणदात्री संस्था के उत्तरदायित्व

i. ऋणदात्री संस्था भारत और विदेश में उच्च अध्ययन करने की आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार शिक्षा ऋण का मूल्यांकन करेगी और उसे संस्वीकृत करेगी और आम बैंकिंग समझदारी और विधिवत्त परीक्षण के साथ उधारकर्ता के खाते (खातों) का मूल्यांकन करेगी।

ii. ऋणदात्री संस्था शिक्षा ऋण खाते के संबंध में, गारंटी कवर प्रदान करने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करेगी।

iii. ऋणदात्री संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि क्रेडिट गारंटी के तहत कवर किया ऋण नॉन-डिस्चार्जएबल हो।

iv. ऋणदात्री संस्था प्रत्येक शिक्षा ऋण को आधार नंबर के साथ जोड़ने को सुनिश्चित करेगी और उधारकर्ता/सह उधारकर्ता का नाम उचित क्रेडिट जानकारी ब्यूरो में पंजीकृत करेगी।

v. ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता के खाते को सावधानीपूर्वक मॉनीटर करेगी और पुनर्भुगतान का अनुवर्तन करेगी।

vi. ऋणदात्री संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि वह उधारकर्ता को दिए गए शिक्षा ऋण के संबंध में एनसीजीटीसी के पास गारंटी दावा उसके द्वारा निर्धारित स्वरूप, ढंग और समय सीमा में करे और यह कि उसकी ओर से उधारकर्ता के खाते में चूक को सूचित करने में कोई विलम्ब नहीं होगा जिससे कि निधि को गारंटी दावे के रूप में अधिक राशि न चुकानी पड़े।

vii. एनसीजीटीसी द्वारा ऋणदात्री संस्था को गारंटी दावे का भुगतान कर देने से उसकी किसी भी तरह से जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि ऋणदात्री संस्था को उधारकर्ता से क्रेडिट की संपूर्ण बकाया राशि के साथ ब्याज की वसूली करनी होगी। ऋणदात्री संस्था को चाहिए कि वह पूरी एहतियात बरते और उधारकर्ता को दिए गए शिक्षा ऋण की संपूर्ण राशि पर अपनी नज़र रखे और जरूरत पड़े तो बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाईयां भी करे, जिसमें एनसीजीटीसी द्वारा सुझाई गई सलाह भी शामिल है।

viii. ऋणदात्री संस्था एनसीजीटीसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे निर्देशों जो एनसीजीटीसी को उचित लगे का पालन करेगी, जो गारंटी खातों से वसूलियों को सुकर बनाने या क्रेडिट गारंटी प्रदाता के रूप में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए जारी किए गए हों, ऋणदात्री संस्था ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

ix. ऋणदात्री संस्था, यदि निधि द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जाती है, तो वह किसी भी गारंटी वाली राशि के संबंध में अपने बकायों की वसूली करने और निधि के ब्याज की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी साधनों का उपयोग करेगी जो सामान्य रूप से अपनाए जा सकते हैं। ऋणदात्री संस्था, विशेष रूप से, गारंटी के लिए आवेदन करने के पहले या बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो प्रतिभू के रूप में उसके निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो। ऋणदात्री संस्था विशेष रूप से कोई भी करार या एकबारगी व्यवस्था प्रबंध करते समय एनसीजीटीसी को सूचित करेगी। इसके अतिरिक्त, ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता के साथ करार करके अपनी निधि या अपनी नियुक्त एजेंसी को सुदृढ़ करेगी या अन्यथा उसे एनसीजीटीसी द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं के नाम और ब्यौरे को प्रकाशित करने का अधिकार होगा।

अध्याय-III

गारंटी शुल्क

11. गारंटी शुल्क

i. गारंटी कवरेज प्राप्त करने के लिए, सदस्य ऋणदात्री संस्था गारंटी कवर के आवेदन की तारीख को जो बकाया राशि है उसके लिए 0.50% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करेगी, यह निधि के अतिरिक्त होगी जिसे गारंटी शुल्क के क्रेडिट गारंटी डिमांड एडवाइज नोट की तारीख से 30 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। बाद के सभी एजीएफ की वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण राशि के आधार पर गणना की जाएगी। तथापि, निधि को विभिन्न शिक्षा ऋणों के लिए भविष्य में विभिन्न गारंटी शुल्क को वसूल करने का अधिकार होगा जो उनके जोखिम-दर/जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करेगी।

ii. इस योजना के तहत गारंटी शुल्क को एकत्र करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

नई गारंटी के संबंध में, एजीएफ के लिए एमएलआईएस संबंधी मांग गारंटी कवर के अनुमोदन पर की जाएगी। गारंटी के प्रारंभ होने की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को एजीएफ ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। एजीएफ की गणना पहले और अन्तिम वर्ष के लिए यथानुपात आधार पर की जाएगी और वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से समग्र बकाया ऋण राशि की गणना बीच के वर्षों में की जाएगी। बाद के मामले में, एजीएफ का भुगतान 30 दिनों के भीतर अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल या उससे पहले किया जाएगा।

iii. परन्तु यदि, एजीएफ का निर्धारित समय या विस्तारित समय जिस पर एनसीजीटीसी की या उसके द्वारा ऐसी शर्तों पर सहमति हुई हो, भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्रेडिट सुविधा जिसके विरूद्ध एजीएफ बकाया हैं या भुगतान नहीं किए गए हैं, ऐसी क्रेडिट सुविधा वाली गारंटी हेतु निधि की देनदारी समाप्त हो जाएगी।

iv. यदि राशि की संगणना या गारंटी शुल्क की गणना करने में कोई गलती या विसंगति रह जाती है तो संबंधित ऋणदात्री संस्था निधि को ऐसी राशि पर बैंक की 4% की दर से अधिक और ऊपर ब्याज का भुगतान करेगी। अधिक भुगतान की गई किसी भी राशि को कोष से लौटाया जाएगा। इस संबंध में ऋणदात्री संस्था द्वारा दिए गए किसी भी अभ्यावेदन पर, एनसीजीटीसी इसके पास उपलब्ध जानकारी और ऋणदात्री संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णय करेगा। इसके होते हुए भी, एनसीजीटीसी का निर्णय अंतिम होगा और ऋणदायी संस्था पर बाध्यकारी होगा।

v. गारंटी शुल्क की समकक्ष राशि को सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

vi. ऋणदात्री संस्था द्वारा एनसीजीटीसी को एक बार भुगतान किया गया गारंटी शुल्क वापस नहीं होगा, जिसमें कुछ परिस्थितियां शामिल नहीं है जैसे:-

क) अधिक जमा राशि,

ख) एक ही शिक्षा ऋण के लिए एक बार से अधिक जमा की गई राशि, और

ग) वह वार्षिक गारंटी शुल्क जो देय न हो।

अध्याय-IV

गारंटी

12. गारंटी की सीमा

यह निधि चूक राशि के 75 प्रतिशत की सीमा तक गारंटी सुरक्षा प्रदान करेगी। 'निधि' को इसे संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। गारंटी सुरक्षा गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख से प्रारंभ होगी और यह शिक्षा ऋण के बाबत् तय की गई अवधि तक बनी रहेगी।

अध्याय-V

दावे

13. गारंटी का आह्वान

(i) यदि अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) लॉक-इन अवधि या 1 वर्ष की अवधि के बाद वर्गीकृत होती है या यदि एनपीए लॉक-इन अवधि के भीतर बनती है तो ऋणदात्री संस्था एनपीए की तारीख से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर शिक्षा ऋण के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद गारंटी के लिए अनुरोध कर सकती है।

क. जब खाता अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया तब संबंधित ऋण सुविधा के मामले में गारंटी लागू रही हो।

ख. प्रतिपादित ऋण के मामले में, ब्याज की अधिस्थगन अवधि समाप्त हो जाने के बाद या गारंटी सुरक्षा शुरू होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, 12 महीनों की लॉक-इन अवधि समाप्त हो गई है। आईबीए शिक्षा ऋण योजना के अनुसार अधिस्थगन अवधि पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष है। साथ ही, छात्रों के लिए चुकौती की शुरूआत होने तक पढ़ाई की अवधि और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज चुकाने का विकल्प रहेगा।

ग. वह राशि जो ऋणदात्री संस्था को शिक्षा ऋण के संबंध में बकाया या देय है का भुगतान न हुआ हो और जो ऋणदाता संस्था द्वारा अनर्जक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों। परन्तु यदि हानि किसी ऋण सुविधा के संबंध में ऐसे किसी कार्य/निर्णय के फलस्वरूप हुई है जो एनसीजीटीसी के दिशा-निर्देशों के विपरीत अथवा उनके उल्लंघन स्वरूप है तो ऐसी स्थिति में ऋणदात्री संस्था एनसीजीटीसी के पास न तो दावा भेज सकेगी और न ही वह उसकी हकदार होगी।

घ. यह क्रेडिट सुविधा वापस ले ली गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं।

(ii) ऋणदात्री संस्था को चाहिए कि वह दावे की प्रक्रिया एनसीजीटीसी द्वारा इस संबंध में निर्धारित कालावधि/या निर्धारित की जाने वाली कालावधि के अनुसार और उसके भीतर करे।

(iii) एनसीजीटीसी ऋणदात्री संस्था को उसके द्वारा 30 दिन के भीतर पात्र दावा चाहने पर गारंटी राशि का 75 प्रतिशत अदा करेगी बशर्ते वह दावा अन्यथा सही हो और सभी मायने में पूर्ण हो। 30 दिन से अधिक विलंब होने की दशा में, एनसीजीटीसी उस विलंब अवधि के लिए प्रचलित बैंक दर पर दावे की पात्र राशि पर ऋणदात्री संस्था को ब्याज अदा करेगी। सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद, गारंटी राशि के 25 प्रतिशत की शेष राशि अदा की जाएगी कि चूक की राशि की वसूली के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा चुके हैं। दावे की राशि अदा किए जाने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि एनसीजीटीसी/निधि संबंधित उधारकर्ता पर लागू रहने वाली गारंटी संबंधी अपनी सभी देयताओं से मुक्त हो गई है।

(iv) चूक होने की दशा में, ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता की आस्तियों के अधिग्रहण के अधिकारों, यदि कोई हों, का उपयोग करेगी तथा ऐसी परिसम्पत्तियों की बिक्री से या अन्यथा उगाही गई राशि, यदि कोई हो, को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा पूर्ण रूप से एनसीजीटीसी को गारंटी राशि के शेष अंश का दावा करने से पहले जमा कर दिया जाएगा।

(v) यदि शिक्षा ऋण के मूल्यांकन/नवीकरण/अनुवर्तन/संचालन में खामियां रही हैं या जहां एक से अधिक बार दावा किया गया है या दावों के निपटान के लिए ऋणदाता संस्थाओं द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई गई है तो ऋणदात्री संस्था एनसीजीटीसी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की दशा में उसके द्वारा अदा की गई राशि प्रचलित बैंक दर से 4 प्रतिशत अधिक दर का दंडात्मक ब्याज सहित वापस करने के लिए बाध्य होगी। ऋणदात्री संस्था 'निधि' द्वारा मांग किए जाने पर एनसीजीटीसी द्वारा अदा की गई दावे की राशि की तारीख से दावे की राशि वापस किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज अदा करेगी।

(vi) ऋणदाता संस्थाओं के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय या अन्य निर्दिष्ट कार्यालय से प्राप्त गारंटी दावों पर ही विचार किया जाएगा। शाखाओं से सीधे प्राप्त होने वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. अधिकारों का प्रतिस्थापन और भुगतान किए गए दावों की वसूली

i. ऋणदात्री संस्था को चाहिए कि वह एनसीजीटीसी द्वारा मांग करने पर उसे वसूली के लिए किए गए प्रयासों, प्राप्त राशियां और संबंधित अन्य सूचनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराए। एनसीजीटीसी अधिकार अधिस्थापन का कार्य नहीं करेगी। बकाया राशि के संबंध में जिम्मेदारी ऋणदाता संस्था की होगी।

ii. यदि किसी उधारकर्ता ने ऋणदाता संस्था से एक से अधिक अलग-अलग ऋण लिए हों और उनमें से किसी एक या अधिक का भुगतान करता हो, भले ही जिस खाते के लिए भुगतान किया गया हो वह 'निधि' की गारंटी के तहत सुरक्षित है अथवा नहीं, इस खंड के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि ऋणदाता संस्था ने उस राशि को गारंटी के तहत सुरक्षा प्राप्त ऋण के लिए विनियोजनित कर लिया है जिसके संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है और दावे की राशि अदा की गई है, चाहे उधारकर्ता ने विनियोजन स्वरूप कुछ भी दर्शाया हो या ऐसे भुगतानों का वास्तविक रूप में विनियोजन जिस किसी स्वरूप में किया गया हो।

iii. एनसीजीटीसी को जो भी राशि देय हो या लौटाई जानी हो उसका भुगतान अविलंब किया जाना चाहिए। यदि एनसीजीटीसी को देय राशि पहली वसूली के बाद 30 दिनों की अवधि के बाद भी अदा नहीं की जाए तो उस पर ब्याज देय होगा। यह ब्याज 30 दिनों की अवधि के बाद जितनी अवधि के लिए देय राशि बकाया रही उतनी अवधि पर बैंक दर से ऊपर 4 प्रतिशत की दर से लागू होगा।

अध्याय-VI

विविध

15. ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त राशियों का विनियोजन

ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त राशियों का विनियोजन वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और अन्य प्रभार जिस क्रम में बकाया थे, उस क्रम में विनियोजित किए जाएंगे। यदि वार्षिक गारंटी शुल्क और दंडात्मक ब्याज की देय तारीख एक ही दिन को है तो ऐसी स्थिति में पहले वार्षिक गारंटी निधि और उसके बाद दंडात्मक ब्याज के रूप में विनियोजित की जाएगी। पात्र ऋण सुविधा के संबंध में देय प्रभारों को अंत में विनियोजित किया जाएगा।

16. गारंटी का उपयोग हो जाने के बाद ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता संस्था को प्राप्त राशि का विनियोजन

एनसीजीटीसी द्वारा ऋणदाता संस्था को इस योजना के पैराग्राफ 13 के अनुसार राशि में चूक होने पर यदि भुगतान कर दिया गया हो, और यदि उसके बाद वसूली कार्यवाही के फलस्वरूप ऋणदाता संस्था को कोई राशि प्राप्त होती है तो ऋणदाता संस्था को चाहिए कि वह प्राप्त राशि में से वसूली हेतु हुए कानूनी खर्च की राशि कम करके शेष एनसीजीटीसी के पास जमा कर दे। 'निधि' इस तरह से प्राप्त राशि को पहले वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और 'निधि' को देय ऐसे अन्य प्रभारों के लिए, यदि कोई हों, विनियोजित करेगी जिसका संबंध इस ऋण सुविधा से था व जिसके लिए ऋणदाता संस्था ने राशि वूसल की थी। यदि कोई राशि बच जाती है तो उसका उपयोग ऋण सुविधा की वसूली में जो घाटा हुआ उसे पूरा करने में किया जाएगा जिसमें एनसीजीटीसी और ऋणदाता संस्था के बीच विनियोजन का अनुपात क्रमश: 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत रहेगा।

17. कतिपय मामलों में 'निधि' की देयता का समाप्त हो जाना

i. यदि उधारकर्ता ने ऋणदाता संस्था से शिक्षा ऋण लिया है, जिसे इस योजना के अंतर्गत गारंटी प्राप्त है, और यदि उस उधारकर्ता की देयता किसी अन्य उधारकर्ता को अंतरित की जाती है अथवा वह सौंप दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाएगा ऐसे अंतरण की तारीख से या सौंपे जाने की तारीख से उस शिक्षा ऋण की गारंटी समाप्त हो गई यदि नए उधारकर्ता की पात्रता व शिक्षा ऋण की मात्रा संबंधी शर्तें व ऐसी अन्य शर्तें व नियम, यदि कोई हों, जिनके तहत शिक्षा ऋण को गारंटी प्रदान की जाती है, की पूर्ति न होती हो।

ii. यदि उधारकर्ता इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण हेतु अपात्र बन जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता संस्था ने योजना के अंतर्गत उस उधारकर्ता को जितना शिक्षा ऋण दिया है उतनी राशि तक एनसीजीटीसी की देयता ऋणदाता संस्था के प्रति रहेगी जिसकी मात्रा उस दिन तक की होगी जिस दिन को उधारकर्ता अपात्र बन गया था, तथापि, इस योजना के अंतर्गत एनसीजीटीसी पर देयता की जो सीमाएं तय की गई हैं वे बनी रहेंगी।

18. विवरणियां व निरीक्षण

i. ऋणदाता संस्था को चाहिए कि वह इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण के संबंध में एनसीजीटीसी द्वारा मांगे जाने पर ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करे और वह जानकारी उपलब्ध कराए जिसकी उसे जरूरत हो।

ii. ऋणदाता संस्था एनसीजीटीसी को इसके अलावा वे सभी दस्तावेज, रसीद प्रमाणपत्र और अन्य लिखित सामग्री भी उपलब्ध कराएगी जिनकी एनसीजीटीसी को जब भी जरूरत हो। इस संबंध में यह मान लिया जाएगा कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाणपत्रों तथा अन्य लिखित सामग्री में उल्लिखित सामग्री सही है बशर्ते किसी दावे को नकारा न गया हो और नेकनीयती से किए गए किसी कार्य के लिए ऋणदाता संस्था या उसके किसी अधिकारी को उत्तरदायी न ठहराया गया हो।

iii. एनसीजीटीसी को योजना के प्रयोजन हेतु जरूरत के अनुसार यह अधिकार होगा कि वह ऋणदाता संस्था की लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच करे या उसकी प्रतियां मंगवाए (कोई अनुदेश पुस्तिका या मैनुअल या परिपत्र हों तो वे भी इसमें शामिल है जिसमें अग्रिम देने की प्रक्रिया संबंधी सामान्य अनुदेश दिए गए हों) ऋणदाता संस्था से उधार लेने वाले उधारकर्ता से संबंधित दस्तावेज भी मंगवाए जा सकते हैं। एनसीजीटीसी ऐसे निरीक्षण अपने अधिकार से करवा सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकती है। ऋणदाता संस्था के प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी या उधारकर्ता को, जो ऐसा करने का अधिकार रखता हो, चाहिए कि वह निरीक्षण के लिए नियुक्त एनसीजीटीसी के अधिकारियों अथवा नियुक्त व्यक्ति को, जो भी मामला हो, लेखा बहियां, अन्य अभिलेख तथा वह सूचना उपलब्ध कराए जो उसके पास उपलब्ध है।

19. योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें ऋणदाता संस्था पर बाध्यकारी होंगी

i. 'निधि' द्वारा जो भी गारंटी दी जाएगी वह इस योजना के प्रावधानों के तहत संचालित होगी। इस संबंध में यह माना जाएगा कि इस प्रावधानों का उल्लेख गारंटी के दस्तावेजों में दिया गया है।

ii. ऋणदाता संस्था जहां तक संभव हो यह प्रयास करेगी कि योजना के अंतर्गत गारंटी प्राप्त किसी खाते के संबंध में किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें योजना के प्रावधानों के विपरीत न हो। तथापि, अन्य किसी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट में किसी बात के होते हुए भी, जहां तक ऋणदाता संस्था का 'निधि' से संबंध है, उसे योजना के तहत लगाई गई शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

20. संशोधन व छूट

i. 'निधि' यदि चाहे तो योजना में संशोधन कर सकती है, उसे निरस्त कर सकती है या उसे बदल सकती है, ऐसा इसलिए ताकि योजना के तहत अब तक दी गई गारंटी के फलस्वरूप जो अधिकार या बाध्यताएं पैदा हुई हैं, या उपचित हुई हैं वे ऐसे संसाधनों, निरसन या परिवर्तन से प्रभावित न हों।

ii. यहां उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, 'निधि' को ऐसे खाते के संबंध में योजना के नियम व शर्तें बदलने का अधिकार होगा जिसे ऐसे परिवर्तन की तारीख तक गारंटी न दी हुई हो।

iii. यदि यह योजना निरस्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस योजना में शामिल ऐसी किसी सुविधा के संबंध में 'निधि' की जिम्मेदारी तब तक नहीं होगी यदि ऋणदाता संस्था ने निरसन लागू होने की तारीख से पहले इस योजना के पैराग्राफ 13 के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन न किया हो।

21. अर्थ निर्णय

यदि इस योजना के प्रावधानों या उसके संबंध में जारी निदेशों अथवा अनुदेशों के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसी स्थिति में 'निधि' का निर्णय अंतिम होगा।

22. पूरक व सामान्य प्रावधान

यदि इस योजना में किसी मामले के संबंध में विशेष प्रावधान न किया गया हो तो ऐसी स्थिति में 'निधि' ऐसे पूरक अथवा अतिरिक्त प्रावधान बना सकेगी या ऐसे अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकेगी जो इस योजना के प्रयोजन से आवश्यक हों।

ईशिता राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

No. 18-1/2013-U.5 (Vol. III).—the following Scheme is published for the information of all concerned:—

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Title and date of commencement

(i) The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL).

(ii) It shall come into force from the date of notification by the Government of India.

(iii) New education loans sanctioned on or after the date of notification of the scheme with features as under will be eligible for the coverage under the scheme.

2. Loan Limit

The maximum loan limit under this scheme is Rs 7.5 lakh without any collateral security and third party guarantee. However, the Fund reserves the right to revise the loan limit as and when required.

3. Interest Rate

The Interest Rate charged by the Member Lending Institutions for education loans to be covered under CGFSEL should be maximum up to 2% p.a. over the Base Rate. However, the Fund may revise such ceiling from time to time keeping in view the prevailing interest rate scenario, base rates of lending institutions and RBI's Credit Policies.

4. Margin

Upto Rs. 4 lakh		Nil
Above Rs. 4 lakh:	Studies in India	5%
	Studies Abroad	15%

5. Definitions

For the purposes of this Scheme -

(i) **"Amount in Default"** means the loan amount outstanding in the loan account(s) of the student borrower, inclusive of accrued interest, as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgment of claim application, whichever is lower, or such other amount as may be specified by the Fund for preferring any claim against the guarantee cover subject to a maximum of 'Guarantee Cover'.

(ii) **"Base Rate"** for a lending institution means the Base Rate so declared by that lending institution from time to time as per Reserve Bank of India guidelines based on which interest rate applicable for the loan will be determined.

(iii) **"Eligible borrower"** means new or existing borrower with Indian Nationality who meets eligibility criteria prescribed under "IBA Model Educational Loan Scheme for pursuing Higher Education in India and Abroad" and executed loan documents with the lending institution to avail education loan. Parents/guardians will be the co-borrowers/joint borrowers. In case of a married person, joint borrower can be either spouse or the parent(s)/parents-in-law.

(iv) **"Collateral security"** means the security provided in addition to personal obligation of borrower/co-borrower.

(v) **"Education Loan"** means any financial assistance by way of loan, extended by the lending institution to the eligible borrower for higher education as per 'IBA Model Educational Loan Scheme.'

(vi) "**Fund"** means the Credit Guarantee Fund for Education Loans set up by Government of India with the purpose of guaranteeing payment against default in Education Loans, extended by the Member Lending Institution(s) (MLIs) to the eligible borrowers.

(vii) **"Guarantor"** means a person acceptable to the bank, who guarantees to repay the education loan, in the event of failure of the borrower to repay.

(viii) **"Guarantee Cover"** means maximum cover (i.e. 75%) available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution.

(ix) **"Lending institution(s)"** means all public sector banks, private sector banks and foreign banks which are members of IBA. The Funds may, on review of performance, include co-operative banks/other FIs/ NBFCs as additional MLIs in future.

(x) **"Material date"** means the date on which the guarantee fee on the amount covered in respect of eligible borrower becomes payable by the lending institution to the Trust.

(xi) **"Non-Performing Assets"** means an asset classified as a non-performing based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

(xii) **"Scheme**" means the Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans.

(xiii) **NCGTC** means National Credit Guarantee Trustee Company set up on March 28, 2014 by Government of India under the Companies Act, 1956 to act as the Trustee to operate the Credit Guarantee Funds for Educational Loans, Skill Developments Loans and any other funds to be set up by Government of India from time to time.

(xiv) Accordingly, all matters pertaining to the operations of CGFSEL would be undertaken by NCGTC on behalf of this said Trust Fund.

CHAPTER II

SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME

6. Guarantees by the Fund

(i) Subject to the other provisions of the Scheme, NCGTC undertakes, in relation to Education Loans up to Rs 7.5 lakh extended to an eligible borrower by a Member Lending Institution (MLI) which has entered into the necessary agreement for this purpose with NCGTC, to provide guarantee against default in repayment of education loans extended by the lending institutions.

(ii) NCGTC reserves the right to accept or reject any proposal referred to it by the lending institution which otherwise satisfies the norms of the Scheme.

7. Education Loan eligible under the Scheme:

(i) The Fund shall cover education loans extended by Member Lending Institution(s) to an eligible borrower as per IBA scheme, on or after entering into an agreement with NCGTC without any collateral security and/or third-party guarantee, provided that the lending institution applies for guarantee cover in respect of education loans so sanctioned within such time period and as per the procedures prescribed by NCGTC for the purpose.

(ii) The lending institution applies for guarantee cover in respect of education loans disbursed in the quarter April-June, July-September, October-December and January-March prior to expiry of the following quarter viz. July-September, October-December, January-March and April-June, respectively.

(iii) as on the material date,

(a) there are no overdues in respect of the account to the lending institutions and/or the loan has not been classified as a Non-Performing Asset (NPA) in the books of the lending institution, and/or

(b) the activity of the borrower for which the credit facility was granted has not ceased; and / or

(c) the credit facility has not wholly or partly been utilized for adjustment of any debts deemed bad or doubtful of recovery, without obtaining a prior consent in this regard from NCGTC.

(iv) The Fund may, at its discretion, approve/frame a list of educational institutes and/or their courses, loans for which the guarantee cover will be available, or the Fund may also notify the categories of educational institutions/courses for which the guarantee cover shall not be available.

8. Education Loans not eligible under the Scheme :

The following Education Loans shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme: -

i. Any Education Loan in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.

ii. Any Education Loan, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.

iii. Any Education loan which has been sanctioned by the lending institution with interest rate of more than 2% over the Base Rate of the lending institutions in cases where Base Rate is applicable.

9. Agreement to be executed by the lending institution

A Member Lending Institution shall be entitled to a guarantee in respect of eligible Education Loan granted by it, after it has entered into an agreement with NCGTC in such form as specified by NCGTC.

10. Responsibilities of lending institution under the scheme:

i. The lending institution shall evaluate and sanction Education Loan in accordance with the IBA Model Educational Loan Scheme for pursuing higher studies in India and abroad and conduct the account(s) of the borrowers with normal banking prudence and due diligence.

ii. The lending institution shall ensure to submit the information required by NCGTC for giving guarantee cover with regard to the Education Loan borrowal account.

iii. The lending institution shall ensure that the loan covered under credit guarantee shall be non-dischargeable.

iv. The lending institution shall ensure linkage of every education loan with Aadhar number and register the borrower's/co-borrower's name with an appropriate credit information bureau.

v. The lending institution shall closely monitor the borrower's account and follow up for repayment.

vi. The lending institution shall ensure that the guarantee claim in respect of the Education Loan given to the borrower is lodged with NCGTC in the form and in the manner and within such time specified by NCGTC in this regard and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrower's account which shall result in the Fund's facing higher guarantee claims.

vii. The payment of guarantee claim by NCGTC to the lending institution does not in any way take away the responsibility of the lending institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower with applicable interest. The lending institution shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of education loan owed to it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by NCGTC.

viii. The lending institution shall comply with such directions as may be issued by NCGTC, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as NCGTC may deem fit and the lending institution shall be bound to comply with such directions.

ix. The lending institution shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Fund in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Fund. The lending institution shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Fund as the guarantor. In particular, the lending

institution should intimate NCGTC while entering into any compromise or one-time settlement arrangement. Further, the lending institution shall secure for the Fund or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars by NCGTC.

CHAPTER III

GUARANTEE FEE

11. Guarantee Fee

i. For availing the guarantee coverage, the Member Lending Institution shall pay Annual Guarantee Fee (AGF) of 0.50% p.a. of the outstanding amount as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Fund within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. All subsequent AGFs would be calculated on the basis of the outstanding loan amount as at the beginning of the Financial Year. However, the Fund reserves the right to charge different guarantee fees in future for different educational loans depending on their risk rating/risk profile.

ii. The procedure for collection of guarantee fee under the scheme shall be as under:

The demand on MLIs for the AGF in respect of fresh guarantees would be raised upon approval of guarantee cover. The guarantee start date would be the date on which proceeds of the AGF are credited to Trust's Bank account. The AGF shall be calculated on pro-rata basis for the first and last year and in full for the intervening years on the outstanding loan amount at the beginning of the financial year. In the latter case, the AGF shall be paid by the MLI within 30 days i.e. on or before April 30, of every year.

iii. Provided further that in the event of non-payment of AGF within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by NCGTC on such terms, liability of the Fund to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the AGF are due and not paid,

iv. In the event of any error or discrepancy or shortfall being found in the computation of the amounts or in the calculation of the guarantee fee, such deficiency / shortfall shall be paid by the eligible lending institution to the Fund together with interest on such amount at a rate of 4% over and above the Bank Rate. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Fund. In the event of any representation made by the lending institution in this regard, NCGTC shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the lending institution. Notwithstanding the same, the decision of NCGTC shall be final and binding on the lending institution.

v. The amount equivalent to the guarantee fee will be borne by the Member Lending Institution.

vi. The guarantee fee once paid by the lending institution to NCGTC is non-refundable, except under certain circumstances like -

(a) Excess remittance,

(b) Remittance made more than once against the same Education loan, and

(c) Annual guarantee fee not due.

CHAPTER IV

GUARANTEES

12. Extent of the guarantee

The Fund shall provide guarantee cover to the extent of 75% of the amount in default. The Fund reserves the right to modify the same. The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the Education Loan.

CHAPTER V

CLAIMS

13. Invocation of guarantee

(i) The lending institution may invoke the guarantee in respect of Education loan within a maximum period of one year from date of NPA, if NPA is after lock-in period or within one year of lock-in period, if NPA is within lock-in period, after the following conditions are satisfied:

a. The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA.

b. The lock-in period of 12 months from either the end of period of moratorium of interest or the date of commencement of guarantee cover in respect of loan covered, whichever is later, has elapsed. As per IBA Education Loan Scheme, the moratorium is course period + 1 year. Further, servicing of interest during study period and the moratorium period till commencement of repayment is optional for students.

c. The amount due and payable to the lending institution in respect of the Education loan has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non-Performing Assets. Provided that the lending institution shall not make or be entitled to make any claim on NCGTC in respect of the said Education loan if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by NCGTC.

d. The credit facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law.

ii. The claim should be preferred by the lending institution in such manner and within such time specified/to be specified by NCGTC in this behalf.

iii. NCGTC shall pay 75 per cent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the lending institution, within 30 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. NCGTC shall pay to the lending institution interest on the eligible claim amount at the prevailing Bank Rate for the period of delay beyond 30 days. The balance 25% of the guaranteed amount will be paid after obtaining a certificate from the Member Lending Institution (MLI) that all avenues for recovering the amount have been exhausted. On a claim being paid, NCGTC / the Fund shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned.

iv. In the event of default, the lending institution shall exercise its rights, if any, to take over the assets of the borrowers and the amount realized, if any, from the sale of such assets or otherwise shall first be credited in full by the lending institutions to NCGTC before it claims the remaining portion of the guaranteed amount.

v. The lending institution shall be liable to refund the claim released by NCGTC together with penal interest at the rate of 4% above the prevailing Bank Rate, if such a recall is made by NCGTC in the event of deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the Education loan or where lodgment of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on the part of the lending institutions for the settlement of claims. The lending institution shall pay such penal interest, when demanded by the Fund, from the date of the initial release of the claim by NCGTC to the date of refund of the claim.

vi. The Guarantee Claim received directly from the branches or offices other than the designated Office/Branches of Lending Institutions will not be entertained.

14. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid:

i. The lending institution shall furnish to NCGTC, as and when required by NCGTC, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information. NCGTC shall not exercise any subrogation rights and the responsibility of the dues shall rest with the lending institutions.

ii. In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the lending institution and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Fund or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the lending institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which, a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.

iii. Every amount recovered and due to be paid to NCGTC shall be paid without delay, and if any amount due to NCGTC remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to NCGTC by the lending institution at the rate which is 4% over and above the Bank Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

15. Appropriation of amount received from the lending institutions

The amount received from the lending institutions shall be appropriated in the order in which the service fee, penal interest and other charges have fallen due. If the service fee and the penal interest have fallen due on the same date, the appropriation shall be made first towards service fee and then towards the penal interest and finally towards any other charges payable in respect of the eligible credit facility.

16. Appropriation of amount realized by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked.

Where subsequent to the Fund having released a sum to the lending institution towards the amount in default in accordance with the provisions contained in Para 13 of this Scheme, the lending institution recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the lending institution with NCGTC, after adjusting towards the legal costs incurred by it for recovery of the amount. The Fund shall appropriate the same first towards the pending service fee, penal interest, and other charges due to the Fund, if any, in respect of the credit facility towards which the amount has been recovered by the lending institution, and the balance, if any, shall be appropriated in such a manner so that losses on account of deficit in recovery of the credit facility between NCGTC and the lending institution are in the proportion of 75% : 25%, respectively.

17. Fund's liability to be terminated in certain cases

i. If the liabilities of a borrower to the lending institution on account Education Loan guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the Education Loan and any other terms and conditions, if any, subject to which the Education Loan can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the Education Loan shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.

ii. If a borrower becomes ineligible for being granted Education Loan under the Scheme, the liability of NCGTC in respect of Education Loan granted to him/ her by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the lending institution as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits on the liability of NCGTC fixed under this Scheme.

18. Returns and Inspections

i. The lending institution shall submit such statements and furnish such information as and when required by NCGTC in connection with Education Loan under this Scheme.

ii. The lending institution shall also furnish to NCGTC all such documents, receipts, certificates and other writings as and when required by NCGTC and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.

iii. NCGTC shall, in so far as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the lending institution, and of any borrower from the lending institution. Such inspection may be carried out through the officers of NCGTC or any other person appointed by NCGTC for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the lending institution or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of NCGTC or the person appointed for the inspection, as the case may be, the books of account and other records and information which are in his/ her possession.

19. Conditions imposed under the Scheme to be binding on the lending institution

i. Any guarantee given by the Fund shall be governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such guarantee.

ii. The lending institution shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme but

notwithstanding any provision in any other document or contract, the lending institution shall in relation to the Fund be bound by the conditions imposed under the Scheme.

20. Modifications and exemptions

i. The Fund reserves to itself the right to modify, cancel or replace the Scheme, so that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the Scheme up to the date on which such a modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.

ii. Notwithstanding anything herein contained, the Fund shall have a right to alter the terms and conditions of the Scheme in regard to an account in respect of which guarantee has not been issued as on the date of such alteration.

iii. In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the Fund in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in Clauses (i) and (ii) of Para 13 of the Scheme are complied with by the lending institution prior to the date on which the cancellation comes into force.

21. Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Fund shall be final.

22. Supplementary and general provisions

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Fund may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

ISHITA ROY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

शिक्षा ऋण के संबंध में दिनांक 18.11.2019 को श्री एस.वेंकटेशन द्वारा पूछे जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध। **अनुबंध-II**		
क्र. सं.	**श्रेणी वार**	**सीजीएफएसईएल के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या**
1	सामान्य	275028
2	ओबीसी	94348
3	एससी	28614
4	एसटी	12343
कुल योग		**410333**
महिला लाभार्थी		
5	सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग मे से महिला लाभार्थी	162878
6	एससी श्रेणी में से एससी महिलाएं	12483
7	एसटी श्रेणी में से एसटी महिलाएं	5118

शिक्षा ऋण के संबंध में दिनांक 18.11.2019 को श्री एस.वेंकटेशन द्वारा पूछे जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अनबंध-III

वित्तीय वर्ष	श्रेणी	सीजीएफएसईएल के तहत लाभार्थियों की संख्या	सीजीएफएसईएल के तहत कवर की गई स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	शामिल की गई (करोड़ रु. में)
2015-16	**सभी**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2016-17	सामान्य	70,208	2,334.42	2,026.23
	ओबीसी	23,779	638.75	591.00
	एससी	4,943	137.16	119.50
	एसटी	3,761	119.97	103.35
	कुल	**102,691**	**3,230.30**	**2,840.08**
	एससी श्रेणी में से (महिलाएं)	2,019	52.14	46.33
	एसटी श्रेणी में से (महिलाएं)	1,445	44.21	38.30
	सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग मे से महिला लाभार्थी	37,865	1,140.22	1,014.35
2017-18	सामान्य	98,952	3,362.75	2,435.06
	ओबीसी	32,612	912.77	658.42
	एससी	10,394	323.51	231.13
	एसटी	4,154	124.11	86.56
	कुल	**146,112**	**4,723.15**	**3,411.17**
	एससी श्रेणी में से (महिलाएं)	4,348	131.79	95.36
	एसटी श्रेणी में से (महिलाएं)	1,723	51.72	36.56
	सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग मे से महिला लाभार्थी	57,298	1,796.42	1,321.88
2018-19	सामान्य	75,539	2,831.08	1,321.91
	ओबीसी	27,652	871.57	390.24
	एससी	9,627	342.01	157.79
	एसटी	3,731	123.35	56.20
	कुल	**116,549**	**4,168.00**	**1,926.14**
	एससी श्रेणी में से (महिलाएं)	4,290	146.58	68.83
	एसटी श्रेणी में से (महिलाएं)	1,634	53.24	24.19
	सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग मे से महिला लाभार्थी	47,802	1,658.55	780.73
2019-20	सामान्य	30,329	1,202.18	443.95
	ओबीसी	10,305	327.15	111.42
	एससी	3,650	123.27	42.80
	एसटी	697	23.21	8.62
	कुल	**44,981**	**1,675.81**	**606.79**
	एससी श्रेणी में से (महिलाएं)	1,826	60.44	20.48
	एसटी श्रेणी में से (महिलाएं)	316	9.97	3.54
	सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग मे से महिला लाभार्थी	19,913	718.51	259.21
कुल योग		**410,333**	**13,797.26**	**8,784.18**
	कुल योग सामान्य	**275,028**	**9,730**	**6,227**
	कुल योग ओबीसी	**94,348**	**2,750**	**1,751**
	कुल योग एससी	**28,614**	**926**	**551**
	कुल योग एसटी	**12,343**	**391**	**255**
	कुल योग-एससी श्रेणी में से (महिलाएं)	**12,483**	**391**	**231**
	कुल योग-एसटी श्रेणी में से (महिलाएं)	**5,118**	**159**	**103**
	सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग मे से महिला लाभार्थीयों का कुल योग	**162,878**	**5,314**	**3,376**